

15-7-2019


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख सं० १२/२०१८-१९

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० १९५० की धारा ४(h) के तहत जांच एव कार्रवाई से


संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्त
13/3/19	<p>झारखंड सरकार के झापाक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एव सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा- <u>खोखरा</u> मौजा न०- <u>०६</u> खाता न० <u>१९६</u></p> <p>प्लॉट न० <u>०३३२</u> रकबा <u>०४</u> <u>३०</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पंजी- 11 के जिल्द संख्या <u>१</u> के पृष्ठ संख्या <u>३३०</u> पर जमाबदी रैयत <u>बिनाप</u> <u>श्री बिनाप</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबदी को सदिध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाम एव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक <u>22/3/19</u> को रखे।</p>	


13-3-19
 अचल अधिकारी,
 धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।


अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।


अभिलेख दिनांक 25/4/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।

10/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक

20/6/20 को रखें।


अचल अधिकारी
धनबाद।

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा

~~खैरा~~ गौजा नं० 86 खाता 196 प्लॉट

नं० 2232 रकबा 28310 भूमि से संबंधित है। आवेदित

भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज वीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित

भूमि दाखिल खारिज केस नं० (.....) के अनुसार कायम है।

तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया

है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द


हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधन।


20.6.20

अचल अधिकारी,
धनबाद।


20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।